

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को पेंशन, उपदान एवं पेंशन  
रूपान्तरण की स्वीकृति के सबध मे।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बध मे कहना है कि डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को वार्द्धक्य सेवा निवृत्ति के पश्चात उन्हें अनुमान्य पेंशन, उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2025 है ।

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश मे आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय से की जाएगी ।

3) इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक—

(क) पेन्शन—प्रपत्र 4 की दो प्रति ।

(ख) सयुक्त फोटो ।

(ग) हस्ताक्षर का नमूना ।

(घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।

(ङ) पेंशन/उपदान की गणना तालिका ।

(च) पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति ।

(छ) अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र ।

(ज) वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दीर्घकालीन बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(झ) आवास बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(ञ) सेवा इतिहास ।

(ट) विभागीय बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

4) अनुरोध है कि सभी बकायों के सबध मे अपने स्तर से पूर्णतः सतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार—पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

ज्ञापक

60(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक

27/01/25 (शैलेश कुमार)

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन (नया सचिवालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता—शांति नगर कॉलोनी, अमरा खैरा, पद्मावती डिग्री कॉलेज के समीप, उत्तर प्रदेश, पिन—221108, मो0 न0 9123162743 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव